राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर कोर्स रिपोर्ट

"साइबर क्राईम एंड साइबर लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर प्रोसिक्यूटर्स एंड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स"

Date 22-07-2022 to 24-07-2022, Course No. 07, Under CCPWC Project

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार मिनिस्ट्री ऑफ हॉम अफेयर्स द्वारा प्रायोजित सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत साइबर फॉरेन्सिक सह प्रशिक्षण लैब में "साइबर क्राईम एंड साइबर लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर प्रोसिक्यूटर्स एंड ज्यूडिशियल ऑफिसर्स" विषय पर दिनांक 22-07-2022 से 24-07-2022 तक 3 दिवसीय कोर्स आयोजित किया गया।

मुझ कोर्स निदेशक अनिल राव,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,आरपीए, जयपुर तथा सहायक कोर्स निदेशक श्री विनोद कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, आरपीए, जयपर द्वारा कोर्स का सफल आयोजन करवाया गया। इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों, पुलिस थानों से कुल 28 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें 11 न्यायिक अधिकारी,11 अभियोजक अधिकारी व 06 पुलिस निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हुए।



इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री प्रवीर भटनागर, प्रिंसीपल सेक्रेटरी, लॉ डिपार्टमेंट द्वारा किया गया। महोदय द्वारा साइबर क्राईम के बढते अपराधों तथा उनके रोकथाम व जागरूकता के संबंध में उद्बोधन किया। प्रशिक्षण पूर्व सभी प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही प्री कोर्स मूल्यांकन परीक्षा ली गयी। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र का आरंभ श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फोरेन्सिक कन्सलटेंट, आरपीए द्वारा साइबर अपराध परिप्रेक्ष्य में संचार उपकरणों, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, सेटेलाइट फोन व मोबाइल आदि से सम्बंधित मूल बातों के साथ साथ नई तकनीकी तथा फेसबुक, वॉटसएप व टवीटर की जानकारी प्रदान की गयी,साथ ही हैण्ड्स ऑन सैशन करवाया गया। इसके बाद द्वितीय सत्र में सभी प्रतिभागियों को एफ.एस.एल जयपुर में ले जाया गया जहां पर श्री विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक, कम्प्यूटर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा डिजिटल साक्ष्य के महत्व व इनकी एसओपी और एक्सपोजर के सम्बंध में बताया साथ ही हैण्ड्स ऑन एक्सरसाइज भी करवायी गयी।

प्रशिक्षण के दूसरे दिवस प्रथम सत्र में श्री पूना राम गोदारा, प्रधान दंडाधिकारी जेजेबी 01, जयपुर मेट्रो मुख्यालय के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के महत्व व ग्राहयता के साथ साथ साइबर अपराधों में ट्रायल के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया जाकर केस स्टडी भी करवायी गयी। द्वितीय सत्र में श्री मुकेश चौधरी, सीईओ, साइबरओप्स इन्फोसेक, जयपुर द्वारा डिजिटल साक्ष्य के महत्व व इनकी एसओपी और एक्सपोजर के सम्बंध में बताया जाकर ईमेल के इस्तेमाल द्वारा होने वाले अपराधों का अनुसंधान कैसे किया जाए आदि की जानकारी दी गयी साथ ही हैण्डस् ऑन करवाया गया। बाद दोपहर के सत्र में श्री दीपक उपाध्याय, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, जीटीयू ने सॉशल मिडिया पर महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हो रहे साइबर अपराधों की जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही हैण्ड्स ऑन एक्सरसाइज भी करवायी गयी।

प्रशिक्षण के अंतिम दिन श्री निशीथ दीक्षित, साइबर अर्टानी राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा साइबर अपराधों में आईटी अधिनियम, आईपीसी व भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि के कानूनी प्रावधानों को समझाया गया साथ ही इन्टरमिडियेटरी एवं ड्यू डेलिजेंसी नियमों की जानकारी प्रदान की गयी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस दिनांक 22-07-2022 को 01.15 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया जाकर प्रशिक्षणोपरान्त सभी का पोस्ट प्रशिक्षण मूल्यांकन लिया गया। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त एक पेन ड्राईव में प्रशिक्षण के दौरान पढायी गयी विष्य-वस्तु तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार करवायी गयी प्रशिक्षण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवायी गयी। कोर्स के समापन-सत्र के मुख्य अतिथि श्री नवज्योति गोगोई, महानिरीक्षक पुलिस,राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर रहे। जिनके द्वारा समापन उद्घोधन दिया जाकर प्रशिक्षणार्थियों से कोर्स संबंधी फीडबैक लिया तथा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में मुझ कोर्स निदेशक द्वारा मुख्य अतिथि व कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय

(अनिल राव) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं कोर्स निदेशक, (CCPWC) आर.पी.ए. जयपुर